भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु मासिक उपलब्धियों की सामग्री

April, 2026

1. 50th Food Authority Meeting successfully held on 13.04.2026 at Kartavya Bhawan, New Delhi.
2. FSSAI issued an Advisory on non-use of Ashwagandha leaves in crude or extract or any other form in food products.
3. FSSAI issued the Advisory dated 16.04.2026 on Monitoring the Sale of Fresh Fruits for the Use of Unauthorized or Prohibited Artificial Ripening Agents.
4. To streamline the food import clearance process, Press release issued by FSSAI on 10th April, 2026 regarding the flexibility in the timing of fee payment by the Importer in the SWIFT/FICS. Under this system improvement, Importers/ Customs Brokers are now allowed to make requisite fee payment after Visual Inspection but before Provisional No Objection Certificate (P-NOC) or No Objection Certificate (NOC) or Non-Conformance Report (NCR) generation, as the case may be. This approach is expected to reduce dwell time of imported food consignments as well as enhance ease of doing business
5. Food Safety Compliance System (FoSCoS) has been updated in accordance with the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2026 notified vide Gazette Notification dated 10th March 2026 followed by an FSSAI Order dated 13th March 2026 regarding revision of turnover thresholds for the categorisation of Food Business Operators (FBOs) effective from 1st April 2026.

Category	Turnover
Registration	Up to Rs. 1.5 Crore
State License	Above Rs. 1.5 Crore and upto Rs. 50 Crore
Central License	Above Rs. 50 Crore

The following updated fee structure has also been implemented:

(a) Central License: Rs. 7500/-

(b) Central License for Railways/Central Government Agencies: Rs. 2000/-

(c) State License: Rs. 5000/-
(d) Registration Certificate: Rs. 100/-

6. FSSAI has signed two MoUs in April 2026:
   - Memorandum of Understanding between The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and Austrian Agency for Health and Food Safety (AGES) On Cooperation in the areas of Food Safety, signed on 16 April, 2026.
   - Memorandum of Understanding (MoU) between The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) and The Central Food Authorities of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding Cooperation in the Areas of Food Safety, signed on 22 April, 2026.
7. Total 20 Stakeholder Consultations and Interactions held during the month on the various matters.
8. During the month 13 Scientific Panel Meetings and 03 Expert Committee Meetings held on the various issues.
9. FSSAI participated in the following events/meeting during the month:-
   - The Food Safety and Standards Authority of India participated in the Save the Earth – Sustainability Summit 2026 on 22 April 2026 at Constitution Club of India, where it showcased a range of IEC materials aimed at raising awareness on food safety, prevention of obesity, food adulteration, healthy eating, and better lifestyle choices.
   - FSSAI convened the first technical meeting (virtual) on the BRICS Mission for Healthy Lifestyle in April 2026.The meeting focused on promoting healthy lifestyles, strengthening health systems, and addressing the rising burden of Non-Communicable Diseases (NCDs), including obesity, across BRICS nations.
   - On the occasion of World Liver Day 2026, FSSAI displayed awareness materials at the Ministry of Health and Family Welfare, Kartavya Bhavan, to promote liver health and encourage reduced consumption of oil and sugar.
10. Under the Eat Right India Initiatives, a total of 553 Eat Right Campuses, 103 Eat Right Stations, 56 Eat Right Schools, 12 Eat Right Street Food Hubs and 07 Eat Right Fruit and Vegetables Markets have been certified.

11. Total 242 social media posts have been posted on different platforms like - X (Twitter), Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Public App to make people aware about food safety and hygiene.
12. A total 43,796 food handlers were trained which includes 1,113 Street Food Vendors.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु मासिक उपलब्धियों की सामग्री

<u>अप्रैल, 2026</u>

1. 50वीं खाद्य प्राधिकरण बैठक का सफल आयोजन 13.04.2026 को कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में किया गया।
2. FSSAI ने खाद्य उत्पादों में अश्वगंधा की पत्तियों के कच्चे रूप, अर्क अथवा किसी अन्य रूप में उपयोग न करने संबंधी परामर्श (Advisory) जारी किया।
3. FSSAI ने 16.04.2026 को ताज़े फलों की बिक्री की निगरानी हेतु अनधिकृत अथवा प्रतिबंधित कृत्रिम पकाने वाले रसायनों (Artificial Ripening Agents) के उपयोग पर एक परामर्श जारी किया।
4. खाद्य आयात निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु FSSAI ने 10 अप्रैल 2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें SWIFT/FICS प्रणाली में आयातकों को शुल्क भुगतान के समय में लचीलापन प्रदान किया गया। इस प्रणाली सुधार के अंतर्गत आयातकों/कस्टम ब्रोकरों को अब दृश्य निरीक्षण (Visual Inspection) के बाद तथा अस्थायी अनापत्ति प्रमाणपत्र (P-NOC), अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) अथवा गैर-अनुरूपता रिपोर्ट (NCR) जारी होने से पूर्व आवश्यक शुल्क जमा करने की अनुमति दी गई है। इस व्यवस्था से आयातित खाद्य खेपों के ठहराव समय (Dwell Time) में कमी आने तथा व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा मिलने की अपेक्षा है।
5. खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (FoSCoS) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2026 के अनुसार अद्यतन किया गया है, जिसे 10 मार्च 2026 की राजपत्र अधिसूचना तथा 13 मार्च 2026 के FSSAI आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के वर्गीकरण हेतु टर्नओवर सीमा में संशोधन लागू किया गया है।

श्रेणी	**वार्षिक कारोबार (Turnover)**
पंजीकरण (Registration)	₹1.5 करोड़ तक
राज्य लाइसेंस (State License)	₹1.5 करोड़ से अधिक एवं ₹50 करोड़ तक
केंद्रीय लाइसेंस (Central License)	₹50 करोड़ से अधिक

निम्नलिखित संशोधित शुल्क संरचना भी लागू की गई है:-

(क) केंद्रीय लाइसेंस : ₹7500/-
(ख) रेलवे/केंद्रीय सरकारी एजेंसियों हेतु केंद्रीय लाइसेंस : ₹2000/-
(ग) राज्य लाइसेंस : ₹5000/-
(घ) पंजीकरण प्रमाणपत्र : ₹100/-

6. FSSAI ने अप्रैल 2026 में दो समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए:-
• भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) एवं ऑस्ट्रियन एजेंसी फॉर हेल्थ एंड फूड सेफ्टी (AGES) के बीच खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु 16 अप्रैल 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
• भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) एवं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड

नॉर्दर्न आयरलैंड की केंद्रीय खाद्य प्राधिकरणों के बीच खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु 22 अप्रैल 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

7. माह के दौरान विभिन्न विषयों पर कुल 20 हितधारक परामर्श एवं संवाद आयोजित किए गए।
8. माह के दौरान विभिन्न विषयों पर कुल 13 वैज्ञानिक पैनल बैठकों एवं 03 विशेषज्ञ समिति बैठकों का आयोजन किया गया।
9. FSSAI ने माह के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों/बैठकों में भाग लिया:-

   • भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 22 अप्रैल 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित "सेव द अर्थ – सस्टेनेबिलिटी समिट 2026" में भाग लिया, जहाँ खाद्य सुरक्षा, मोटापे की रोकथाम, खाद्य मिलावट, स्वस्थ आहार एवं बेहतर जीवनशैली विकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न IEC सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया।

   • FSSAI ने अप्रैल 2026 में BRICS मिशन फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल की पहली तकनीकी बैठक (वर्चुअल) आयोजित की। बैठक का उद्देश्य स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करना तथा BRICS देशों में मोटापे सहित गैर-संचारी रोगों (NCDs) के बढ़ते बोझ को कम करना था।

   • विश्व लिवर दिवस 2026 के अवसर पर FSSAI ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कर्तव्य भवन में जागरूकता सामग्री प्रदर्शित की, जिससे यकृत स्वास्थ्य को बढ़ावा देने एवं तेल एवं चीनी के कम सेवन हेतु प्रेरित किया जा सके।
10. ईट राइट इंडिया पहल के अंतर्गत कुल 553 ईट राइट कैंपस, 103 ईट राइट स्टेशन, 56 ईट राइट स्कूल, 12 ईट राइट स्ट्रीट फूड हब तथा 07 ईट राइट फल एवं सब्ज़ी बाजारों को प्रमाणित किया गया।
11. खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु X (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब एवं पब्लिक ऐप जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कुल 242 सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए गए।
12. कुल 43,796 खाद्य संचालकों (Food Handlers) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें 1,113 स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल हैं।